1. "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना"

उत्तर प्रदेश की अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों के कृषकों, खेतिहर मजदूरों तथा मण्डी स्थल में कार्यरत पल्लेदारों, जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलग्न है अथवा कृषि संबंधी बिजली उपकरणों अथवा कुँओं की खुदाई अथवा गहराई बढ़ाने हेतु कार्यरत हैं अथवा ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उत्पादन की ढुलाई/थ्रेसिंग करते समय तथा अन्य कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर और उसके फलस्वरूप शारीरिक क्षति/अपंगता/मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता हेतु मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से "समूह कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना संचालित की जा रही है, इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों एवं मृत्यु की दशा में उनके वैध वारिसों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को और अधिक उपयोगी, व्यापक एवं पारदर्शी बनाने हेतु वर्तमान में प्रभावी योजना के स्थान पर संशोधित **"मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना"** के प्राविधान निम्नवत् होंगे–

1–योजना आवरण का कार्यक्षेत्र

इस योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा। इस योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु दुर्घटना से मृत्यु अथवा विकलांगता, जिसमें अंग से हानि शामिल है (शरीर से अलग होने पर) एवं आँखों की क्षति, कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्य करते समय हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर इस योजना की परिधि के अन्तर्गत आयेंगे। उत्तर प्रदेश के समस्त कृषक, खेतिहर मजदूर एवं मण्डी पल्लेदार जो केवल कृषि अथवा कृषि से सम्बन्धित कार्य में संलग्न हो, इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित होंगे। यदि कोई व्यक्ति या मजदूर किसी ठेकेदार अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान/ निमित्त अथवा स्वयं एक व्यवसायी की भाँति कोई कार्य कर रहा है, तो वह इस योजना के अन्तर्गत संरक्षित नहीं होगा और उसको कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।

2–शारीरिक दुर्घटना का तात्पर्य

इस योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु व्यक्तिगत/शारीरिक दूर्घटना का अर्थ वाह्य हिंसक एवं दृष्टिगत कारणों से जिसके द्वारा दुर्घटना घटित हुई तथा वह स्पष्ट रूप से शरीर पर दृष्टिगोचर हो रही हो, जिसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष सम्पूर्ण रूप से मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति का कारण हो तथा वह बाह्य दुर्घटना कृषि तथा कृषि सम्बन्धी कार्य करते समय ही हुई हो, तभी स्वीकार करने के उपयुक्त होगी।

3–योजना की शर्ते व नियम–

(1) योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्ति हेतु दावा स्वीकार करने के लिए पात्रता की आयु सीमा केवल 18 से 70 वर्ष के मध्य ही होगी।

(2) यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के निवासी कृषकों, खेतिहर या मण्डी मजदूरों पर ही लागू होगी। दुर्घटना केवल उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में ही घटित हुई हो, परन्तु यदि किसी दूसरे प्रान्त का कृषक/ मजदूर 02 वर्ष से उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है, इसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा की गयी है तो वह इस योजना के अन्तर्गत संरक्षित माना जायेगा।

4– योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार की दुर्घटनाएं आच्छादित होंगी :–

(1) कृषि उपकरणों एवं कीट–रोग नाशक रसायनों के प्रयोग के समय घटित दुर्घटनाएं ।

(2) बैल/भैंसा गाड़ी, ट्रैक्टर –ट्राली व अन्य वाहनों का उपयोग कृषि कार्य व ढुलाई आदि के समय घटित होने वाली दुर्घटनाएं ।

(3) कुओं/नलकूपों की खुदाई अथवा उनकी गहराई बढाते समय घटित दुर्घटनाएं ।

(4) गाय/बैल आदि पशुओं द्वारा सींग मारने से अथवा विषैले जन्तुओं अथवा हिंसक जानवरों के काटने/हमला करने से घटित दुर्घटनाएं।

(5) कृषि कार्य करते समय घटित होने वाली उपरोक्त व अन्य दुर्घटनाएं बाह्य हिंसक दृष्टिगत कारणों के द्वारा हुई समझी जायेंगी और वह इस योजना के अन्तर्गत संरक्षित मानी जायेंगी।

5– किसी भी दुर्घटना में किसी अंग के विच्छेद के होने की दशा में कम से कम निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक से अथवा किसी भी सरकारी अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। क्षतिग्रस्त अंग का फोटोग्राफ एवं पूर्ण विवरण सहित आवेदन–पत्र, आवेदक के निकटतम दो रिश्तेदारों अथवा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों (ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्य आदि) द्वारा सत्यापित होना चाहिए। मृत्यु होने पर शव–विच्छेदन का प्रमाण–पत्र आवश्यक है।

6–योजनान्तर्गत कृषि कार्य करते समय सर्पदंश अथवा विषैले जन्तुओं के काटने के फलस्वरूप हुई मृत्यु के सम्बन्ध में शव विच्छेदन (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट के स्थान पर पंचनामा अथवा ग्राम प्रधान का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

7– जान बूझकर शरीर को पहुँचाई गयी चोट, आत्महत्या/नशे की हालत में हुई दुर्घटना, किसी भी हिसंक कार्य में भाग लेने पर हुई शारीरिक क्षति अथवा मृत्यु या असंवैधानिक/असामाजिक / उग्रवाद/आतंकवाद या दंगा–फसाद अथवा बाढ़/भूकम्प/युद्ध/आणविक/ रेडिएशन (विकरण) आदि घटनाओं से अथवा शत्रुता द्वारा की गयी मार–पीट/झगड़ा/कानूनी कार्यवाही हेतु किसी न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विधि के अन्तर्गत दी गयी सजा द्वारा मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति अथवा स्वाभाविक मृत्यु इस योजना के अन्तर्गत संरक्षित नहीं है, उनकी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा में नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अन्तर्गत उपयुक्त पात्र, जिनको उपरोक्त वार्णित दुर्घटनाओं द्वारा मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति हुई हो, तो निम्न विवरणिका की सीमा के अनुसार आर्थिक सहायता दी जायेगी:–

क0स0	दुर्घटना का प्रकार	देय सहायता धनराशि
1	दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने पर	रू0 3,00,000/–
2	दुर्घटना द्वारा दोनों पैर, दोनों हाथ या दोनों ऑखे या उपरोक्त में से कोई दो की क्षति होने पर	रू0 75,000/–
3	दुर्घटना द्वारा एक हाथ, एक पैर अथवा एक ऑख की क्षति होने पर	रू0 40,000/–
4	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ चार ॲगुलियों की क्षति होने पर	रू0 30,000/–
5	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ तीन ॲगुली की क्षति होने पर	रू0 25,000/–
6	ॲगूठे की क्षति होने पर	रू0 20,000/–
7	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की दो ॲगुलियों की क्षति होने पर	रू0 15,000/–
8	किसी एक ॲगुली की क्षति होने पर	रू0 5,000/–

8–क्षतिपूर्ति हेतु दावों की प्रमाणिकता एवं नियंत्रण

इस योजना के अन्तर्गत मण्डी समिति का दायित्व है कि स्वार्थी व्यक्ति/तत्व इस सुविधा का दुरूपयोग न कर पाये, इस हेतु समिति का सचिव सम्बन्धित पीड़ित के सम्बन्ध में अलग से जॉच कर यह पुष्टि करेंगें कि

आवेदनकर्ता द्वारा उसकी शारीरिक क्षति अथवा मृतक के बालिग बच्चे/वैध उत्तराधिकारी द्वारा क्षतिपूर्ति किया गया आवेदन पत्र देय मानदण्डों/प्राविधानों के अनुसार प्रमाणित है तथा हर प्रकार से सही है। मण्डी समिति को छल-कपट, धोखा आदि की जानकारी किसी स्तर पर प्राप्त होती है तो इसकी पुष्टि होने पर दी गयी धनराशि ब्याज सहित दोषी व्यक्तियों/लाभार्थियों से वसूल कर ली जायेगी।

9-दावा निस्पादन/निस्तारण हेतु प्रकिया

(1)- दुर्घटना में प्रभावित कृषक अथवा मजदूर द्वारा 90 दिन के अन्दर दुर्घटना की सूचना क्षेत्र के मण्डी समिति के सचिव अथवा उप जिलाधिकारी को देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में समय सीमा सचिव की संस्तुति पर सभापति की अनुमति से 90 दिन तक और बढाया जा सकता है। दुर्घटना का संज्ञान होने पर सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ मण्डी सहायक से अन्यून किसी कर्मचारी से अनिवार्य रूप से स्थलीय जॉच करायेंगे और लाभार्थी के दावा प्रपत्र को तैयार कराने में सहयोग करेंगे।

(2)- दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके वैध प्रतिनिधि अथवा उत्तराधिकारी के अतिरिक्त दावा प्रपत्र पर उसके निकटस्थ दो रिश्तेदारों अथवा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के गवाह के रूप में सत्यापन हेतु हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रार्थना-पत्र ग्राम प्रधान अथवा पंचायत के दो सदस्यों द्वारा सत्यापित होने चाहिए। नगर महापालिका अथवा कस्बा क्षेत्र/टाउन एरिया होने की स्थिति में आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां/हस्ताक्षर/ अंगूठे कटे हाथों के निशान, वहॉ के प्रशासक/अध्यक्ष (चेयरमैन) द्वारा प्रमाणित/ सत्यापित होना चाहिए।

(3)- दुर्घटना द्वारा मृत्यु की दशा में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र/जिला अस्पताल के चिकित्सक द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र/शव विच्छेदन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) आवश्यक है।

(4)- दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र कटे या अलग हुए तथा क्षतिग्रस्त अंगों के फोटोग्राफ एवं निकटस्थ दो रिश्तेदारों अथवा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(5)- दावा आवेदन पत्र सम्पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए मण्डी समिति द्वारा दुर्घटना की पुष्टि की जानी आवश्यक है।

(6)- दावा आवेदन पत्र पर आवेदक की तरफ से हस्ताक्षर/बॉये/दायें हाथ अंगूठे के निशान सहित दावा प्रपत्र भरा होना चाहिए। यदि बॉया ॲगूठा कटा हो, तो दांये ॲगूठे के निशान और यदि दोनों ॲगूठे कटे हों, तो क्रियाशील हाथ की ॲगुलियों के निशान लगाये जा सकते हैं। यदि दोनों हाथ कट गये हों, तो कटे हुए हाथ के आगे के भाग का निशान लगाना होगा। यह महिलाओं तथा पुरूषों दोनों के लिए मान्य होगा।

(7)- योजना में परिभाषित दुर्घटना का संज्ञान होने पर सम्बन्धित मण्डी समिति सचिव स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ मण्डी सहायक से अन्यून किसी कर्मचारी से अनिवार्य रूप से स्थलीय जॉच करायेंगे और लाभार्थी के दावा आवेदन पत्र को तैयार कराने में सहयोग करेंगे। दावा यथा सम्भव एक माह में स्वीकृत किया जावेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उक्त समयावधि सचिव की संस्तुति पर सभापति द्वारा एक माह तक बढायी जा सकती है।

10- (1) सचिव, मण्डी समिति द्वारा जॉचोपरान्त सम्पूर्ण दावा आवेदन पत्र अपनी संस्तुति सहित भुगतान हेतु सभापति के माध्यम से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा तथा दावा आवेदन पत्र यथा सम्भव एक माह में स्वीकृत किया जायेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त समयावधि बढायी जा सकती है। दावा आवेदन पत्र स्वीकृत करने के उपरान्त सभापति द्वारा लाभार्थियों को रेखांकित चेक अथवा बैक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान कराया जायेगा। इस योजना हेतु प्राप्त धनराशि का उपयोग लाभार्थियों की सहायता किये जाने के अतिरिक्ति अन्य किसी प्रयोजन में नहीं किया जायेगा।

(2) दावों का भुगतान विकलांग या मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को मण्डी समिति की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा। मृत्यु की स्थिति में मण्डी समिति मृतक के वैध उत्तराधिकारी के नाम 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 1.00 लाख की धनराशि रेखाकिंत चेक अथवा बैक ड्राफ्ट द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 1.00 लाख तीन वर्षीय बैक सावधि जमा (एफ.डी.आर.) के रूप में दिया जायेगा।